

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अगस्त 2022—श्रावण 10, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022

क्र. बी-01-68-2021-2-पांच (28).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा, निम्नलिखित मदिरा विनिर्माणी इकाइयों एवं इन विनिर्माणी इकाइयों द्वारा निर्मित मदिरा को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के मध्यप्रदेश राज्य के भीतर मदिरा के विनिर्माण, आधिपत्य, परिवहन, विक्रय तथा इस पर आबकारी शुल्क की देयता/ भुगतान से संबंधित प्रावधानों से छूट प्रदान करती है. अर्थात् :-

- (एक) हनुमान आजीविका स्व-सहायता समूह, ग्राम कोछा, ब्लॉक कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर
(दो) मां नर्मदा आजीविका स्व-सहायता समूह, ग्राम भाखामाल, ब्लॉक अमरपुर, जिला डिण्डौरी
2- यह छूट, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी शर्तों के अधीन होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022

क्र. बी-01-68-2021-2-पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-68-2021-2-पांच (28), दिनांक 1 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st August 2022

No. B-01-68-2021-2-V (28).—In exercise of the powers conferred under section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the state government, hereby, exempts the following liquor manufacturing units and the liquor manufactured by these manufacturing units from the provisions of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made thereunder, related to manufacturing, possession, transport, sale of liquor within the State of Madhya Pradesh and levy/payment of Excise duty thereon namely :-

(i) - Hanuman Ajivika Swa-Sahayata Samuh, Village Kochha, Block Katthiwada, District Alirajpur,

(ii) -Ma Narmada Ajivika Swa-Sahayata Samuh, Village Bhakhamal, Block Amarpur, District Dindori.

(2) This exemption shall be subject to the conditions, issued by the State Government from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.